// निर्णय //

(आज दिनांक 19.10.2022 को घोषित)

1. अभियुक्त की स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उन्हे आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्व अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः अभियुक्त की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये **अभियुक्त सुरेन्द्र पिता बाबूलाल नवारे**, जाति गोवारी, उम्र 25 वर्ष, साकिन—सावरगांव, थाना तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म0प्र0) को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुये न्यायालय उठने तक का कारावास एवं राशि 500/—रूपये (पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 01 माह का साधारण कारावास की सजा भुगताई जावे।

3— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 01 प्लास्टिक जरीकेन में हाथ भट्टी मदिरा जिसकी मात्रा 05 लीटर मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

19/10/22

(सुधा पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटंगी
जिला बालाघाट